न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2018

बउनवान

1–भवानीशंकर आयु 72 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड नि0–मण्डोला तहसील–बारां जिला–बारां

2–श्रीकृष्ण आयु 70 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–मण्डोला तहसील–बारां जिला–बारां(राज0) (अपीलांट)

बनाम

1–रामनारायण आयु 65 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–विजयपुर तहसील–बारां जिला–बारां

2–हेमराज आयु 55 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–मण्डोला तहसील–बारां जिला–बारां

3–रामकल्याण आयु 57 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–विजयपुर तहसील–बारां

4–अशोक बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी श्री किशनलाल जाति–धाकड निवासी–विजयपुर तहसील–बारां

5–गिरबाला आयु 26 साल पुत्री चन्द्रकांता जाति–धाकड निवासी–विजयपुर तहसील–बारां हाल निवासी–जयनगर तहसील–अन्ता जिला–बारां

6–अनिता आयु 28 साल पुत्री चन्द्रकांता जाति–धाकड निवासी–विजयपुर हाल निवासी इकलेरा तहसील–बारां जिला–बारां(राज0)

7– राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां(राज0) (रेस्पोंडेंटस्)

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित <u>वसीयती आदेश दिनांक 06.12.2017 अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र नागर, अभिभाषक (अपीलांट)

2. श्री ओमप्रकाश मेहता II,अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक– 23.11.2020

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा वसीयती नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 05.06.1994 ग्राम विजयपुर में रामनारायण पुत्र मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–विजयपुर के अमल के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06.12.2017 से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। तहसीलदार, बारां द्वारा पारित ... अराजियात् ख0नं0 334

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 10:30:30 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.44 है0, 450 रकबा 1.41 है0, ख0नं0 481 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 482 रकबा 0.12 है0 कुल 4 किता रकबा 2.57 है0 एवं ख0नं0 22 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 27 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 117 रकबा 0.54 है0, खनं0 215 रकबा 2.48 है0, ख0नं0 216 रकबा 2.46 है0, ख0नं0 279 रकबा 0.02 है0 कुल किता–6 रकबा 6.28 है0 वाके ग्राम विजयपुर तहसील–बारां के संबंध में पारित किया गया है। उक्त आराजियात् से संबंधित एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा केम्प बारां में विचाराधीन है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल खारिजी है क्योकि उक्त आराजियात् अपीलांट व रेस्पोंडेट की पुश्तैनी आराजियात् है जिसके बंटवारे से संबंधित अपील में न्यायालय भू राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से निर्णय होना शेष है। उक्त आराजियात् में अपीलांट्स का हक व हिस्सा निहित है।

2– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो कानूनन गलत है क्योकि पुश्तैनी जायदाद की वसीयत नही हो सकती है। मृतक मथुरालाल द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर खोला गया इन्तकाल आदेश दिनांक 06.12.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। मथुरालाल ने उक्त पुश्तैनी जायदाद की वसीयत रेस्पोडेंट क्रम 1, 4,5 व 6 के पक्ष मे की गयी है, जो स्वतः निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना विधि संगत व न्यायोहित होगा।

3– इस आदेश दिनांक 06.12.2017 की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 29.1.2018 को होने पर अपीलांट्स से उसी दिन नकल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 30.1.2018 को प्राप्त हुई। इसलिये निर्णय आदेश दिनांक 06.12.2017 से जानकारी दिनांक 29.1.2018 तक का समय अपील की अवधि में से मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां वर्णित आराजियात् के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

4– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मथुरालाल जी के ग्राम विजयपुर में खातेदारी में ख0नं0 22 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 27 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 117 रकबा 0.54 है0, खनं0 215 रकबा 2.48 है0, ख0नं0 216 रकबा 2.46 है0 व ख0नं0 279 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 334 रकबा 0.44 है0, 481 रकबा 0.60 है0, 482 रकबा 0.12 है0 व 450 रकबा 1.41 है0 कुल किता 10 रकबा 8.85 हैक्टयर आराजी अवस्थित है। जिसकी रेस्पोडेंट क्रम–1 रामनारायण द्वारा फर्जी वसीयत तैयार की गयी है। इस वसीयत के आधार पर तहसील कार्यालय बारां में नामान्तकरण संख्या 93 भरा गया। किन्तु तत्समय तहसीलदार बारां द्वारा नामान्तकरण तस्दीक नहीं कर, काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुये दिनांक 05.06.1994 को आम पर रोक लगायी

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 10:30:30 IST
Reason: SelfAttested

गयी। जिसकी पालना में अब अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा वसीयती अमल का आदेश दिनांक 06.12.2017 को पारित किया गया है। वसीयतकर्ता मथुरालाल जी न अपने जीवनकाल में रेस्पोडेंट क्रम–1 के पक्ष में कोई वसीयत तहरीर नहीं की गयी है। उक्त आराजी की वैधानिक वारिस अपीलांट व रेस्पोडेंट है। विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसकी वसीयत करने का अधिकार मथुरालाल को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक वारिसान् को सुने बिना आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

6– अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.12.2017 को इन्तकाल तस्दीक किया है। उस वक्त विवादित आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहॉ अपील विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील लंबित रहते विवादित आराजी बाबत वसीयती आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी पटवार मण्डल सीमली तह. बारां द्वारा दिनांक 29.11.2017 को गलत व त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट पेश की गयी है जिसमें विवादित आराजी के संबंध में कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में लंबित होना नहीं बताया गया है। जबकि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष तत्समय प्रकरण लंबित था। इसी का आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है।

7– अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित वैधानिक वारिसान् की सुनवाई, विवादित आराजी पैतृक है या स्वअर्जित की गयी है तथा विवादित आराजी के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन या विचाराधीन तो नहीं है। इन तार्किंत तथ्यों को पुष्ट व कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या किये बिना विधि विरूद्व तरीके से एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 06.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

8– इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट्स अभिभाषक ने अपीलांट्स अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि मथुरालाल जी ने अपने जीवनकाल में ग्राम विजयपुर में अवस्थित आराजीयात् बाबत दिनांक 01.01.1994 को वसीयत तहरीर की गयी थी जिसमें ख0नं0 334 रकबा 0.44 है0, 481 रकबा 0.60 है0, 482 रकबा 0.12 है0, 450 रकबा 1.41 है0 कुल किता 4 रकबा 2.57 है0 रामनारायण व शेष आराजी पत्नी मोत्या व पुत्रियों को निष्पादित की गयी थी। यह मथुरालाल जी की अंतिम वसीयत थी। मथुरालाल जी का दिनांक 02.01.1994 को स्वर्गवास होने पर, रामनारायण पुत्र मोतीलाल दत्तक मथुरालाल धाकड नि. विजयपुर द्वारा वसीयत का अमल करने बाबत तहसीलदार बारां के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया जिसपर अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार, बारां द्वारा दिनांक 03.11.2004 को विस्तृत सुनवाई गवाह सबूत लेकर वसीयत को वैध मानते हुये वसीयत के आधार पर प्रश्नगत आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। जिसका नामान्तकरण खोला गया किन्तु तत्समय दावा उपखण्ड अधिकारी बारां में विचाराधीन होने से नामान्तकरण का अमल नहीं हो सका। विवादित आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी बारां से भी दावा दिनांक 22.06.2004 को खारिज हुआ। जिसकी अपील माननीय मण्डल में हुयी। माननीय मण्डल द्वारा पत्रावली राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 10:30:30 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी कोटा को रिमाण्ड फरमायी गयी। जो पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से नोट प्रेस में दिनांक 09.05.2018 को खारिज हो चुकी है।

9— अपीलांट ने वसीयत को गलत बताया है जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां में तत्समय दिनांक 27.7.2004 को बयान दर्ज कराये है जिसमें वसीयत को सहीं व वैध बताया है तथा वसीयत का साक्षी रहा है। ऐसी स्थिति में वसीयत को अवैध करार नहीं माना जा सकता। अपीलांट ने मन में बदयान्ति आ गयी है। इसलिये अपील प्रस्तुत की गयी है। जबकि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक आधार नहीं है। वह ना तो मथुरालाल जी वसीयतकर्ता का वैधानिक वारिस है ना हीं उसका इस वसीयत से कोई सरोकार है।

10— अपीलांट ने अपील में मुख्य आपत्ति तहसीलदार, बारां द्वारा जेर अपील विचाराधीन रहते निर्णय पारित करने पर रहीं है। चूकि उक्त अपील माननीय न्यायालय से नोट प्रेस हो चुकी है तथा सभी अपीलीय न्यायालयों ने भी वसीयत को सहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा इसी आधार पर विवादित आराजी बाबत अमल दरामद के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश में कोई विधिक व कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

11— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि मथुरालाल पुत्र धूलीलाल धाकड सा. देह के खाते ग्राम विजयपुर तहसील—बारां में किता 10 रकबा 8.85 है0 आराजी अवस्थित है जिसमें से मृतक मथुरालाल द्वारा दिनांक 01.01. 1994 को अनरजिस्टर्ड वसीयत तहरीर की गयी है, जिसकी पालना में रामनारायण के पक्ष में खोले गये नामान्तरण संख्या 93 दिनांक 05.06.1994 के अमल के संबंध में तहसीलदार, बारां दिनांक 06.12.2017 को आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्व रेस्पोडेंट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील में बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य दलील रहीं है कि तहसीलदार, बारां द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में विवादित आराजी के संबंध में प्रकरण लंबित रहते वसीयती आदेश पारित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा में अपील दिनांक 09.05.2018 को नोट प्रेस में खारिज हो चुकी है। साथ हीं यह भी दलील रहीं है कि विवादित आराजी मथुरालाल जी की पैतृक है, स्वअर्जित नहीं हैं। पैतृक आराजी की वसीयत करने का अधिकार मृतक मथुरालाल को नहीं है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि विवादित आराजी मथुरालाल पुत्र धूलीलाल के खातेदारी की पैतृक आराजी है, जो विरासतन प्राप्त हु ई है। पैतृक आराजी का वसीयत निष्पादन करने का अधिकार वसीयतकर्ता हो नहीं है। अपील में यह भी जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तत्समय वसीयती इन्तकाल संख्या 93 दिनांक 05. 06.1994 तस्दीक नहीं किया गया था। इस इन्तकाल के संबंध में तहसीलदार, बारां द्वारा दिनांक 06.12.2017 को आदेश पारित किया गया है। चूकि विवादित आराजी पैतृक है। पैतृक

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 10:30:30 IST
Reason: SelfAttested

आराजी को किस प्रकार वसीयतहर्ता रामनारायण के पक्ष में अमल की जा सकती है। इसकी जॉच व विवेचना निर्णय में नहीं की गयी है तथा प्रभावित वैधानिक वारिसान की भी सुनवाई नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

12— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वसीयतकर्ता मथुरालाल पुत्र धूलीलाल धाकड सा.देह के खाते में अवस्थित आराजी किता 10 रकबा 8.85 है0 में से वसीयतकर्ता द्वारा रेस्पोडेंट रामनारायण पुत्र मोतीलाल धाकड नि. विजयपुर के पक्ष में तहरीरी वसीयत दिनांक 01.01.1994 से ग्राम विजयपुर तह. बारां की आराजी ख0नं0 334 रकबा 0.44 है0, 481 रकबा 0.60 है0, 482 रकबा 0.12 है0, 450 रकबा 1.41 है0 कुल किता 4 रकबा 2.57 है0 वसीयत की गयी है। उक्त आराजी पैतृक है या नहीं। मथुरालाल वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार है या नहीं। इस संबंध में विस्तृत जॉच कर, पक्षकारान् की विधि सम्मत सुनवाई कर, पुनः निर्णय पारित करे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 015.12.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 10:30:30 IST
Reason: SelfAttested